

(1)

कार्यालय प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उ०प्र० वन निगम, दुद्धी-सोनभद्र
पत्रांक 551 / दिनांक 05/07/2025

विज्ञप्ति/सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण एवं समस्त सम्मानित क्रेतागण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2025 सीजन में अनुमानित मात्रा के आधार पर हरे तेन्दूपत्ता की अग्रिम बिक्री की गयी थी। वर्ष 2025 के हरे तेन्दू पत्ता की अग्रिम बिक्री की समस्त लाटों/इकाईयों का संग्रहण, प्रसारण, हस्तान्तरण, परिवहन एवं भण्डारण का कार्य सम्बन्धित क्रेताओं (जिसके पक्ष में इकाई/लाट का अनुमोदन प्राप्त हुआ है) के द्वारा सम्बन्धित गोदामों में कराया जा चुका है। तेन्दूपत्ता संग्रहण के बाद कुछ इकाईयों/लाटों में मात्रा लक्ष्य से अधिक या लक्ष्य से कम उत्पादन हुआ है तथा वास्तविक उत्पादन के आधार पर गोदाम में भण्डारित तेन्दूपत्ता की सम्पूर्ण मात्रा का बीमा सम्बन्धित क्रेताओं (जिसके पक्ष में इकाई/लाट का अनुमोदन प्राप्त हुआ है) को हरे तेन्दू पत्ता की अग्रिम बिक्री के नियम व शर्तों के अनुसार कराया जाना अनिवार्य है। साथ ही हरे तेन्दू पत्ता की अग्रिम बिक्री के नियम व शर्तों के अनुसार क्रेताओं के द्वारा किराये पर लिये गये गोदामों का त्रि-पक्षीय (क्रेता, गोदाम मालिक एवं उ०प्र० वन निगम) अनुबन्ध/करारनामा कराया जाना अनिवार्य है।

अतः सर्वसाधारण एवं समस्त सम्मानित क्रेतागण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि जिन क्रेताओं (जिसके पक्ष में इकाई/लाट का अनुमोदन प्राप्त हुआ है) वह अपने लाट/इकाई के तेन्दूपत्ता की सम्पूर्ण मात्रा का बीमा कराते हुये बीमा प्रमाण पत्र की प्रति सम्बन्धित कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें साथ ही सम्बन्धित क्रेताओं (जिसके पक्ष में इकाई/लाट का अनुमोदन प्राप्त हुआ है) के द्वारा सम्बन्धित लाट जिस गोदाम में भण्डारित है उसका त्रि-पक्षीय अनुबन्ध/करारनामा कराते हुये अनुबन्ध की प्रति सम्बन्धित कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें। यदि आप लोगों के द्वारा सम्बन्धित लाट/इकाई का बीमा कराकर बीमा से सम्बन्धित प्रपत्र/प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आपके द्वारा कय किये गये तेन्दू पत्ता मात्रा की निकासी सम्बन्धित गोदाम से नहीं दी जायेगी।

समस्त सम्मानित क्रेतागण को अवगत कराना है कि तेन्दू पत्ता की भण्डारित मात्रा का बीमा एवं गोदाम का बीमा न कराये जाने से किन्हीं कारणों से यदि कोई अप्रत्याशित दुर्घटना (प्राकृतिक आपदा, आग लगना, चोरी व अन्य आकस्मिक क्षति) हो जाती है तो इसके लिये सम्बन्धित क्रेता (आप लोग स्वयं) जिम्मेदार/उत्तरदायी होंगे। बीमा न कराये जाने के कारण यदि किसी भी प्रकार की विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके लिये सम्बन्धित कार्यालय जिम्मेदार/उत्तरदायी नहीं होगा।

बीमा से सम्बन्धित कुछ बिन्दु निम्नवत है:-

1. बीमा केवल उ०प्र० वन निगम के द्वारा स्वीकृत/अनुबंधित लाट्स के लिये लागू होगा।
2. बीमा प्रक्रिया राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनियों के माध्यम से कराना अनिवार्य है।
3. गोदामों में संग्रहित तेन्दू पत्ता की सुरक्षा हेतु त्रिस्तरीय अनुबन्ध भी अनिवार्य रूप से कराना होगा।

(तौफीक अहमद)

प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक,
उ०प्र० वन निगम, दुद्धी

Amish